राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 286 / 2024	तारीख रजू 11.07.2024	अंतिम निर्णय दिनांक 21-7-25

उनवानः

1. रामवतार पुत्र नानगराम जाति अहीर निवासी ग्राम सीहमा, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0।

...........वादी

बनाम

1. जगमोहन यादव पुत्र ग्यारसीलाल
2. बसन्ती देवी पत्नी ग्यारसीलाल
3. मुन्नी देवी पुत्री ग्यारसीलाल
4. जगराम पुत्र रामप्रसाद
5. सहीराम पुत्र प्रभातीलाल
6. जयपाल पुत्र प्रभातीलाल
7. दिलबाग पुत्र प्रभातीलाल
8. महाबीर पुत्र प्रभातीलाल सभी जाति अहीर निवासी ग्राम मांढण तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
9. लाली पुत्री प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम मांढण तह0 मांढण हाल पत्नी श्री जगमालसिंह निवासी सामरास तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड
10. कमलेश पुत्री प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम मांढण तह0 मांढण हाल पत्नी श्री प्रकाश निवासी सामरास तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड
11. स्नेहलता पुत्री प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम मांढण तह0 मांढण हाल पत्नी श्री सुनील कुमार निवासी डहीना तहसील कनीना जिला महेन्द्रगढ हरि0
12. सविता पुत्री प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम मांढण तह0 मांढण हाल पत्नी श्री नरेश कुमार निवासी कोरियावास तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ
13. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड
14. उप पंजीयक, मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.......प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी</u>

उपस्थितिः– श्री राधेश्याम यादव योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से।

।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 217 रकबा 0.59 है0, 218 रकबा 0.37 है0, 219 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम अडींद तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 मे स्थित है उक्त आराजी का पक्षकारान के मध्य कदीम से आपसी मौखिक बाहमी बंटवारा किया हुआ है तथा उस बाहमी बंटवारे के मुताबिक वादी के हिस्से मे खसरा नम्बर 217 रकवा 0.59 है0 आया हुआ है तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 12 के हिस्से मे खसरा नम्बर 218 रकवा 0.37 है0, 219 रकवा 0.29 है0 आये हुऐ है। उक्त बाहमी बंटवारा संवत 2042 से पूर्व ही बुजूर्गो द्वारा कर लिया था। विवादित आराजी का साबिक खसरा नम्बर 601 था जिसका मौके पर बाहमी बंटवारा कर लिया था जिसका वर्णन साविक जमाबन्दी मे भी अंकित है। वादी का हिस्सा 1/2 तरफ दक्षिण मे था तथा प्रतिवादीगण के बुजुर्ग का हिस्सा तरफ उत्तर मे था। इसलिए वन्दोवस्त मे वादी के हिस्से का खसरा नववर 217 कायम किया गया और प्रतिवादीगण के हिस्से के नये नम्बर 218, 219 कायम किये गये

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

है। इसी अनुसार मौके पर काविज है। लेकिन आराजी मुतनाजा रिकार्ड मे सहखातेदारी मे दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा मे मिन वादी के हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 217 पर जवरन कब्जा कर उसे अपना वताकर वाला वाला दिगर जगह मुन्तकिल करना चाहते हैं। ऐसी सूरत मे आराजी मुतनाजा मौके पर किये गये बाहमी बंटवारा के मुताविक विधिवत रूप से विभाजन किया जावे एवं प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पावन्द किया जाने की प्रार्थना की गई।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी सं0 1 लगा. 14 बावजूद तामिल न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

दावा तकसीम आराजी का है लेकिन वादी द्वारा अपने दावा मे बहामी बंटवारा मे अपने हिस्से मे खंसरा नम्बर 217 सालिम आने का कथन किया गया है तथा प्रतिवादीगण के हिस्से मे खसरा नम्बर 218,219 आना अंकित किया गया है। लेकिन मौके पर उक्त बंटवारा किया जाने का पत्रावली पर कोई दस्तावेजात व तथ्य उपलब्ध नही है। प्रतिवादीगण ने भी वादी के वाद पत्र की पुष्टि नही की गई। रिकार्ड मे वाद ग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। इसलिए बाहमी बंटवारा के मुताबिक भूमि का विभाजन किया जाना सम्भव नही है। इसलिए न्याय हित मे उभय पक्षो के हितो को ध्यान मे रखते हुऐ वाद ग्रस्त भूमि न्याय संगत विभाजन के लिए वाद वादी को दिनांक 04.12.2024 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार मांढण को आदेशित किया गया कि उभय पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तो संबंधि राजस्व भाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2024 को दृष्टिगत रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय मे भिजवाई जावे।

तहसीलदार मांढण द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 04.12.2024 की पालना मे वादग्रस्त खसरा नम्बर 217 रकबा 0.59 है0, 218 रकबा 0.37 है0, 219 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम अडींद तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 की कुर्रे रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 21.02.2025 तैयार करवाकर, इस न्यायालय मे दिनांक 28.03.2025 को पेश की गई । वकील वादीगण उपस्थित, तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट के विरूद्ध कोई आपत्ति पेश नही की गई। इसलिए तहसीलदार मांढण द्वारा पेश कुर्रे रिर्पोट के आधार पर वादी का वाद डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी,तहसीलदार मांढण द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 21.02.2025 के मुताबिक डिक्री किया जाता है कि :–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	रामवतार पुत्र नानगराम हिस्सा सम्पूर्ण जाति अहीर सा0 सीहमा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0	217 218/2 219/2	0.59 0.02 0.0150
		कुल किता–3 रकबा 0.6250 है0	

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

क्र.सं	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	जगमोहन यादव पुत्र ग्यारसीलाल हि0 1/9 जाति अहीर सा0 मांढण खातेदार	218/1	0. 2750
2.	बसन्ती देवी पत्नी ग्यारसीलाल हि0 1/9 जाति अहीर सा0 मांढण खातेदार	219/1	0.35
3.	मुन्नी देवी पुत्री ग्यारसीलाल हि0 1/9 जाति अहीर सा0 मांढण खातेदार		
4.	जगराम पुत्र रामप्रसाद हि0 1/3 जाति अहीर सा0 मांढण खातेदार		
5.	सहीराम पुत्र प्रभातीलाल हि0 1/24 जाति अहीर सा0 मांढण खातेदार	कुल किता–2 रकबा 0.6250 है0	
6.	जयपाल पुत्र प्रभातीलाल हि0 1/24 जाति अहीर सा0 मांढण खातेदार		
7.	दिलबाग पुत्र प्रभातीलाल हि0 1/24 जाति अहीर सा0 मांढण खातेदार		
8.	महाबीर पुत्र प्रभातीलाल हि0 1/24 जाति अहीर सा0 मांढण खातेदार		
9.	लाली पुत्री प्रभातीलाल हि0 1/24 जाति अहीर सा0 मांढण खातेदार		
10.	कमलेश पुत्री प्रभातीलाल हि0 1/24 जाति अहीर सा0 मांढण खातेदार		
11.	स्नेहलता प्रभातीलाल हि0 1/24 जाति अहीर सा0 मांढण खातेदार		
12.	सविता पुत्री प्रभातीलाल हि0 1/24 जाति अहीर सा0 मांढण खातेदार		

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 21-7-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

।। पर्चा डिक्री ।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक 21-7-2025
286 / 2024	11.07.2024	

उनवानः

1. रामवतार पुत्र नानगराम जाति अहीर निवासी ग्राम सीहमा, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0।

...........वादी

बनाम

1. जगमोहन यादंव पुत्र ग्यारसीलाल
2. बसन्ती देवी पत्नी ग्यारसीलाल
3. मुन्नी देवी पुत्री ग्यारसीलाल
4. जगराम पुत्र रामप्रसाद
5. सहीराम पुत्र प्रभातीलाल
6. जयपाल पुत्र प्रभातीलाल
7. दिलवाग पुत्र प्रभातीलाल
8. महावीर पुत्र प्रभातीलाल सभी जाति अहीर निवासी ग्राम मांढण तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
9. लाली पुत्री प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम मांढण तह0 मांढण हाल पत्नी श्री जगमालसिंह निवासी सामरास तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड
10. कमलेश पुत्री प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम मांढण तह0 मांढण हाल पत्नी श्री प्रकाश निवासी सामरास तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड
11. स्नेहलता पुत्री प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम मांढण तह0 मांढण हाल पत्नी श्री सुनील कुमार निवासी डहीना तहसील कनीना जिला महेन्द्रगढ हरि0
12. सविता पुत्री प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम मांढण तह0 मांढण हाल पत्नी श्री नरेश कुमार निवासी कोरियावास तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ
13. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड
14. उप पंजीयक, मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितिः– श्री राधेश्याम यादव योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी,तहसीलदार मांढण द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 21.02.2025 के मुताविक डिक्री किया जाता है कि :–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	रामवतार पुत्र नानगराम हिस्सा सम्पूर्ण जाति अहीर सा0 सीहमा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0	217 218 / 2 219 / 2	0.59 0.02 0.0150
		कुल किता–3 रकबा 0.6250 है0	

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

क्र.सं	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	जगमोहन यादव पुत्र ग्यारसीलाल हि0 1/9 जाति अहीर सा0 मांढण खातेदार	218/1	0. 2750
2.	बसन्ती देवी पत्नी ग्यारसीलाल हि0 1/9 जाति अहीर सा0 मांढण खातेदार	219/1	0.35
3.	मुन्नी देवी पुत्री ग्यारसीलाल हि0 1/9 जाति अहीर सा0 मांढण खातेदार		
4.	जगराम पुत्र रामप्रसाद हि0 1/3 जाति अहीर सा0 मांढण खातेदार		
5.	सहीराम पुत्र प्रभातीलाल हि0 1/24 जाति अहीर सा0 मांढण खातेदार		
6.	जयपाल पुत्र प्रभातीलाल हि0 1/24 जाति अहीर सा0 मांढण खातेदार	कुल किता–2 रकबा 0.6250 है0	
7.	दिलबाग पुत्र प्रभातीलाल हि0 1/24 जाति अहीर सा0 मांढण खातेदार		
8.	महाबीर पुत्र प्रभातीलाल हि0 1/24 जाति अहीर सा0 मांढण खातेदार		
9.	लाली पुत्री प्रभातीलाल हि0 1/24 जाति अहीर सा0 मांढण खातेदार		
10.	कमलेश पुत्री प्रभातीलाल हि0 1/24 जाति अहीर सा0 मांढण खातेदार		
11.	स्नेहलता प्रभातीलाल हि0 1/24 जाति अहीर सा0 मांढण खातेदार		
12.	सविता पुत्री प्रभातीलाल हि0 1/24 जाति अहीर सा0 मांढण खातेदार		

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21-7-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)